...तब चुल्लू में भी न होगा जल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति ये है कि पानी अधिक हो जाए तो संभाला नहीं जाता, गर्मियों में लू के प्रकोप के समय जल संकट से हलक सूख जाता है। ये असंतुलन अपना ही बनाया हुआ है। भू के गर्भ से इतना पानी उलीचा कि अब स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। पिछले वर्ष बाढ़ के हालात में दिल्ली पानी ही पानी थी और इस बार गर्मी में डेढ़ माह से जल संकट से त्राहिमाम। हर साल उपयोग से कई गुना पानी शहरों में बर्बाद होता है।

98.16%
2022 में भूजल दोहन हुआ दिल्ली में

99.13%
दिल्ली में 2023 में भूजल दोहन

15 अतिदोहित तहसील वर्ष 2022 में

13 अतिदोहित तहसील वर्ष 2023 में

दिल्ली में भूजल की स्थिति

वर्ष	स्तर (मीटर में)
2022	1.25 से 66.01
2021	0.5 से 64.85
2020	0.80 से 63.13
2019	0.80 से 65.00
2018	0.36 से 60.21
2017	1.2 से 58.90

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड

दोहन की स्थिति

(नोट : हेक्टेयर मीटर में)

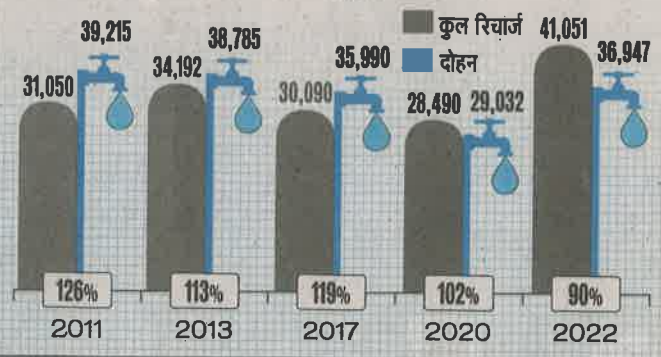

क्या कहते हैं नियम

- 100 मीटर से अधिक के प्लाट पर घर बनाने के लिए वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होने पर ही नक्शा पास।
- पानी के शुल्क में डेढ़ गुना बढ़ोतरी के रूप में वर्षा जल संचयन संबंधी दंड का प्रविधान।

जल संचयन की गति

10,321 भवनों में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था

3,200 आम नागरिकों के भवन या सोसायटियों में

7,121 सरकारी भवनों में

जुर्माना का प्रविधान

वर्षा जल संरक्षण संबंधी दंड को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के इंजिनियरिंग शाखा ने जुलाई 2023 में 30 सितंबर, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन उसके बाद की स्थिति को जल बोर्ड स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। जल बोर्ड के अनुसार इस वर्ष एक से 31 मार्च तक जुर्माना संबंधी प्रविधान स्थगित था और उसके बाद जुर्माना लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

फरीदाबाद

भूजल की स्थिति (फीट में)

पांच वर्ष में
770 एमएलडी- पानी संग्रह किया गया
35,000 एमएलडी-बर्बाद हुआ

नियम : 250 गज से अधिक जगह पर मकान के निर्माण के साथ ही रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य है। दंड का कोई सजा प्रविधान नहीं है।

200 रेनवाटर हार्वेस्टिंग हैं।
35 ठप
165 चालू

गुरुग्राम में भूजल (फीट में)

674 एमएलडी- पानी संग्रह किया गया पांच वर्ष में
22 हजार एमएलडी-बर्बाद हुआ

गाजियाबाद में भूजल (फीट)

20,84,750 मेगालीटर- पानी संग्रह किया गया पांच वर्ष में
2.0 लाख मेगालीटर-बर्बाद हुआ

गौतमबुद्ध नगर

nwda.gov.in

एमएलडी (मिलियन लीटर)

पांच वर्ष में
675 एमएलडी- पानी संग्रह किया गया
28,000 एमएलडी-बर्बाद हुआ

श्रेणी	जोन
अतिगंभीर	जेवर
गंभीर	दादरी
अतिदोहित	बिसरख, नोएडा, ग्रेटर नोएडा

वर्षा जल संग्रहण को लेकर नियम

जिन जगहों पर बोरवेल से भूजल निकालने की अनुमति है वहां पर वर्षा जल संचयन स्रोत होने आवश्यक है। प्राधिकरण इसी आधार पर मानचित्र मंजूर किया जाता है।

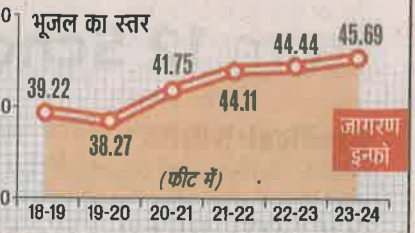

दंड का प्रविधान : वर्षा जल संचयन के स्रोत नहीं हैं तो तीन महीने में तैयार करने का समय दिया जाता है। बोरवेल सील किया जाता है। फिर भी भूजल का दोहन होने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है।

- पांच सालों में 17 जगहों की एनओसी रद की गई 20 लोगों पर 5 और 10 लाख का जुर्माना किया गया।